

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता उ0प्र0
लो0नि0वि0, लखनऊ
(भवन वर्ग)**

पत्रांक:- /69बी0पी0विंग/ 2017

दिनांक: 2018

कार्यालय-ज्ञाप

प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में आवासीय एवं अनावासीय भवनों के कुर्सी क्षेत्रफल दरों (प्लिंथ एरिया रेट्स) का निर्धारण इस कार्यालय के पत्रांक-1635/69बी0पी0विंग/2015 दि0 10.09.2015 द्वारा किया गया था, जो दिनांक 15.09.2015 से प्रभावी था। विगत समय में श्रमिक एवं सामग्री की दरों में परिवर्तन होने एवं जी0एस0टी0 लागू होने के कारण कुर्सी क्षेत्रफल दरों को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता पर विचार करने हेतु इस कार्यालय में दि0 12.12.2017, दि0 27.12.2017, दि0 29.12.2017 एवं 10.01.2018 को विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं की बैठक बुलायी गयी। बैठकों में मुख्य अभियन्ता (वि0/यॉ0), लो0नि0वि0, लखनऊ, संयुक्त निदेशक प्रयोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राजकीय निर्माण निगम लि0 के प्रतिनिधि, उ0प्र0 आवास विकास परिषद के प्रतिनिधि, उ0प्र0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 लखनऊ के प्रतिनिधि, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम के प्रतिनिधि, अधीक्षण अभियन्ता दशम् वृत्त/भवन वृत्त, अधीक्षण अभियन्ता, 39वाँ वृत्त, लो0नि0वि0 लखनऊ, अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ के अतिरिक्त अनुरक्षण खण्डों के सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता(प्राविधिक) उपस्थित हुये तथा उनके द्वारा सामग्री एवं श्रमिक दरों पर वर्तमान में मूल्यांकन करते हुये प्रस्तुत किये गये विवरण के आधार पर कुर्सी क्षेत्रफल दरें (Exclusive GST) (संलग्न पृष्ठों में) दिये गये विवरण के अनुसार एतदद्वारा निर्धारित की जाती हैं, जो दि0 01.01.2018 से प्रभावी मानी जायेगी।

यह दरें केवल प्रारम्भिक आगणन बनाने हेतु प्रयोग की जायेगी।

संलग्नक:- प्लिंथ एरिया दरों
का विवरण-5 पृष्ठों में।

भवदीय,

(मसर्रत नूर खौं)
मुख्य अभियन्ता (भवन)

दिनांक: 10.01.2018

पत्रांक:- 58 /69बी0पी0विंग/ 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नको सहित सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, लो0नि0अनुभाग-5 एवं 8 उ0प्र0शासन लखनऊ।
2. प्रमुख अभियन्ता (विकास एवं विभागाध्यक्ष), लो0नि0वि0 लखनऊ।
3. प्रमुख अभियन्ता, (ग्रामीण सड़क) / (परि0/नियो0), लो0नि0वि0 लखनऊ।
4. प्रमुख अभियन्ता, (बजट :ख' वर्ग) लो0नि0वि0 लखनऊ।
5. निदेशक, प्रयोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, गोमतीनगर लखनऊ।
8. निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, योजना भवन योजना भवन, लखनऊ।
9. मुख्य वास्तुविद, लो0नि0वि0, लखनऊ।
10. निदेशक, ग्लोबल सेल आवास एवं विकास परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
11. निदेशक, उ0प्र0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
12. निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
13. मुख्य अभियन्ता(वि0/यॉ0), लो0नि0वि0 लखनऊ।
14. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता समस्त क्षेत्र लो0नि0वि0। आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ अधीक्षण अभियन्ताओं एवं अधिशासी अभियन्ताओं को अपने स्तर से इसकी प्रतियों उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. अधीक्षण अभियन्ता, दशम् वृत्त/भवन वृत्त/39वाँ वृत्त/लखनऊ वृत्त लो0नि0वि0, लखनऊ।
16. निदेशक, रिसर्च एवं क्वालिटी प्रमोशन सेल, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 लखनऊ।

मुख्य अभियन्ता (भवन)

१०।।।८

दिनांक 01.01.2018 से प्रभावी कुर्सी क्षेत्रफल दरे
(रूपये प्रति वर्गमीटर में)

क्रम सं 0	विवरण	अनावासीय		आवासीय		उच्च अधिकारियों हेतु आवास श्रेणी-5		
		उच्च अनावासीय भवन-सॉकिट हाउस / निरिक्षण भवन / जिला अस्पताल / मैडिकल कालेज	मध्य अनावासीय भवन-महाविद्यालय इटर कालेज / हाई एफ्टल / कोषागार / कार्यालय / खाद्य उचिक, गोवाम / प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र / सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र / तहसील भवन / कलेक्टर	साधारण अनावासीय भवन-प्राइमरी स्कूल / जूहापुराल / परिवार कल्याण केन्द्र बैरक / अन्य छोटे भवन	निम्न श्रेणी कमचारी हेतु आवास श्रेणी-1	साधारण आवास श्रेणी-2 एवं श्रेणी-3	अधिकारियों हेतु आवास श्रेणी-4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	कुर्सी क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)				34.2	57.70&	178.5	225.4
1.1	मंजिल अनुसार पहली मंजिल हेतु	12530	9840	7570	11120	79.00		
1.2	दूसरी मंजिल हेतु	11870	9360	7190	10450		11680	11970
1.3	तीसरी मंजिल हेतु	12530	9840	7570	11120		11070	11350
1.4	चौथी मंजिल हेतु	13100	10310	7850	11450		11680	11970
	अतिरिक्त प्राविधिकानों के लिए			(श्रेणी चार एवं पाँच के आवासों के साथ गेरेज एवं सर्वन्त क्याटर के लिए श्रेणी-1 के लिए प्रयुक्त दरें ही अपनायी जायेगी।)				
2.1	सामाच केंचाई 2.90मी० से ऊपर प्रत्येक 0.30 मीटर केंचाई के लिए			280	280	280	280	
2.2	सामाच कुर्सी केंचाई 0.60मी० से अधिक प्रत्येक 0.30 मीटर केंचाई के लिए (केवल पहली मंजिल के लिए)		280	280	280	280	280	
2.3	सामाच नीच गहराई 1.20 मी० से अधिक प्रत्येक 0.30 मी० गहराई हेतु (केवल पहली मंजिल के लिए)		360	360	360	360	360	

१०/११/१८
(मराठानगर रुक्ता)
मुख्य अधिकारी (भवन)
लोनिंगिं, लखनऊ

अधिकारी
दशम वृत्त (भवन)
लोनिंगिं, लखनऊ

१०/११/१८
१०.०१.१८ दृढ़
ज.एस. लोनिंगिं, लखनऊ
ज.एस.

१०/११/१८
३९वें वृत्त
लोनिंगिं, लखनऊ
ज.एस.

**दिनांक 01.01.2018 से प्रभावी कुर्सी क्षेत्रफल दरों
(रूपये प्रति वर्गमीटर में)**

क्रमांक	विवरण	अनावासीय		आवासीय			
		उच्च अनावासीय भवन—सक्रिय हाउस / निरेक्षण भवन / जिला अस्ताल / मेडिकल कालेज	मध्य अनावासीय भवन—महाविद्यालय इन्टर कालेज / हाई स्कूल / कोषागार / कार्यालय / खाद्य उर्वरक, गोदाम / प्रथमिक स्वास्थ केन्द्र / सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र / तहसील भवन / कालेवद्रेट	निम्न श्रेणी कर्मदारी हेतु आवास श्रेणी-1	साधारण अनावासीय भवन—प्राइमरी स्कूल / जूँहार०५कूल / परिवार कल्याण केन्द्र बैंक / अन्य छोट भवन / बैंक	निम्न श्रेणी कर्मदारी हेतु आवास श्रेणी-2	उच्च आवास श्रेणी-4
1	2.4 बाद में कभी एक अतिरिक्त मजिल हेतु दृढ़तर नीव बनाने के लिए (केवल अतिरिक्त क्षेत्रफल नीव पर निर्माण होता है।)	700	700	700	700	6	5
2	3.1 10 टन/वर्गमीटर भार वहन क्षमता से कम क्षमता वाली मिट्टी पर नीव निर्माण के लिए नीव 3.2 6.0 मीटर लम्बी अण्डररीम्ड पाइल नीव के लिए (केवल पहली मजिल हेतु) 3.3 प्रबलित कंक्रीट (आर०सी०सी०) राफ्ट नीव के लिए 3.4 15मीटर गहराई तक पाइल नीव के लिए (केवल पहली मजिल हेतु) 3.5 काली मिट्टी के लिए अतिरिक्त (केवल पहली मजिल हेतु) 3.6 लवण युक्त मिट्टी के लिए अतिरिक्त (केवल पहली मजिल हेतु)	390 1890 1700 2360 2360 10%	390 1890 1700 2360 2360 10%	390 1890 1700 2360 2360 10%	390 1890 1700 2360 2360 10%	6	5
3	3.7 अधिकारियों हेतु आवास श्रेणी-5	15%	15%	15%	15%	15%	15%

अधिकारियों
हेतु आवास
श्रेणी-5
10/01/18 ६६ लो०नि�०वि०, लखनऊ
ज.एस.) AE २४५३

अधिकारियों
हेतु आवास
श्रेणी-4
10/01/18 ६६ लो०नि�०वि०, लखनऊ
ज.एस.) AE २४५३

अधिकारियों
हेतु आवास
श्रेणी-3
10/01/18 ६६ लो०नि�०वि०, लखनऊ
ज.एस.) AE २४५३

अधिकारियों
हेतु आवास
श्रेणी-2
10/01/18 ६६ लो०नि�०वि०, लखनऊ
ज.एस.) AE २४५३

अधिकारियों
हेतु आवास
श्रेणी-1
10/01/18 ६६ लो०नि�०वि०, लखनऊ
ज.एस.) AE २४५३

दिनांक 01.01.2018 से प्रभावी कुर्सी क्षेत्रफल दरे
(रूपये प्रति वार्गीटर में)

क्रमसंख्या	विवरण	अनावासीय			आवासीय				
		उच्च अनावासीय भवन—सर्किट हाउस/ निरेक्षण भवन/ जिला अस्पताल/ मैडिकल कालेज	मध्य अनावासीय भवन—महाविद्यालय इन्टर कालेज/ हाई स्कूल/ कोषागार/ कार्यालय/ खाद्य उर्करक, गोदाम/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ तहसील भवन/ कलेक्टर भवन/ बैंक	साधारण अनावासीय भवन—प्राइमरी स्कूल/ जूँहाइस्कूल/ परिवार कर्त्याण केन्द्र बैंक/ अन्य छोटे भवन/ बैंक	निम्न श्रेणी कर्मचारी हेतु आवास श्रेणी-1	साधारण आवास श्रेणी-2 एवं श्रेणी-3	अधिकारियों हेतु आवास श्रेणी-4	उच्च अधिकारियों हेतु आवास श्रेणी-5	
1	4	भूकम्प रेफी संरचनाओं के लिए अतिरिक्त जोन-II एवं जोन III हेतु	3	4	5	6	7	8	9
	4.1	जोन-II एवं जोन III हेतु	370	370	370	370	370	370	370
	4.2	जोन-IV हेतु	470	470	470	470	470	470	470
	4.3	जोन-V हेतु	750	750	750	750	750	750	750
	5	500 किंविता प्रति वर्गमीटर के ऊपर 1000 किंविता प्रति वर्गमीटर भार वहन करने के लिए दृढ़तर संरचना के लिए।	890	890	890	890	890	890	890
	6	35 वर्गमीटर से अधिक मॉड्युल के लिए दोमक प्रतिरोध के लिए (केवल पहली मजिल हेतु) अग्निशमन के लिए अतिरिक्त	210	210	210	210	210	210	210
	7	स्थालित फायर एलार्म सिस्टम	520	520	520	520	520	520	520
	8	वेट राइजर सिस्टम के साथ अग्निशमन व्यवस्था स्थिकलर सिस्टम के साथ अग्निशमन व्यवस्था आपरेशन थिएटर के लिए अतिरिक्त	750	750	750	750	750	750	750
	8.1		-	-	-	-	-	-	-
	8.2		-	-	-	-	-	-	-
	8.3		-	-	-	-	-	-	-
	9		-	-	-	-	-	-	-

(मर्मांडा वृत्त द्वंद्वा)
मुख्य अधिकारी(भवन)
लोगिनी, लखनऊ

(अधीक्षण अधिकारी)
अधीक्षण अधिकारी
39वाँ दूत
लोगिनी, लखनऊ

(अधीक्षण अधिकारी)
अधीक्षण अधिकारी
दशम दूत (भवन)
लोगिनी, लखनऊ

10/01/2018
J.E.T
10/01/2018
J.E.T
10/01/2018
J.E.T
10/01/2018
J.E.T

दिनांक 01.01.2018 से प्रभावी कुर्सी क्षेत्रफल दरे (रूपये प्रति वर्गमीटर में)

क्रमसंख्या	विवरण	अनावासीय			आवासीय		
		उच्च अनावासीय भवन-महाविद्यालय इन्स्टिट्यूट	साधारण अनावासीय भवन-प्राइमरी स्कूल / कोषागार / कार्यालय / खाद्य उर्दफ, गोदाम / प्रथमिक स्थान केन्द्र / सामुदायिक स्थान केन्द्र / तहसील भवन / कलेक्ट्रेट कालेज	निम्न श्रेणी कर्मचारी हेतु आवास श्रेणी-1	साधारण अवास श्रेणी-2 एवं श्रेणी-3	आवास श्रेणी-4 अधिकारियों हेतु आवास श्रेणी-5	उच्च अधिकारियों हेतु आवास श्रेणी-4 अधिकारियों हेतु आवास श्रेणी-5
1	10 अतिरिक्त सेवाएं	2	3	4	5	6	7
10.1	आन्तरिक जल आपूर्ति एवं मल निपत्तारण कार्य	4%	5% (अस्त्राल हेतु 10 प्रतिशत तथा छात्रावास हेतु 15 प्रतिशत)	5%	12%	12%	12%
10.2	वाह्य जलमल कार्य	5%	5%	5%	5%	5%	5%
10.3	आन्तरिक विद्युतीकरण	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%
11	अतिरिक्त प्राविधान		(इन दरों में कनेक्शन चार्ज समिलित नहीं है।)				
11.1	पावर वायरिंग तथा लग	4%	4%	4%	-	-	-
11.2	सेन्ट्रल कॉलेक्टर सिस्टम	1%	-	-	-	-	-
11.3	लाइट कण्डकर चार मजिल से अधिक प्रबलित कांक्रीट (आरसीसी) रिप फाउण्डेशन	0.50%	0.50%	0.50%	-	-	-
12		500	630	640	-	-	-

टिप्पणी:- 1. उक्त दरों में जी0एस0टी० की दरें समिलित नहीं है।

2. आन्तरिक स्थल सुधार के लिए भूतल लागत की 5 प्रतिशत धनराशि का प्राविधान आवश्यकतानुसार देय होगा।

3. वाह्य स्थल विकास का प्राविधान वास्तविक आवश्यकतानुसार विस्तृत विवरण के अनुसार देय होगा।

4. हार्टीकल्चर के कार्यों हेतु भवन परिसर के खुले क्षेत्र हेतु रु 60 प्रतिवर्ग मीटर की दर से प्राविधान आवश्यकतानुसार देय होगा।

5. प्रतिशत में अंकित प्राविधान भवन के मूल लागत पर आधारित होगा।

6. शासकीय / अद्विशासकीय भवन जिसका निर्माण 200 वर्ग मीटर या इससे अधिक आकर के मूल्यांड पर किया जाना प्रस्तावित है। उनमें रुक्ताप रेन गाटर हार्टीस्टिंग का प्राविधान अनिवार्य रूप से किया जायेगा तथा इस मद की लागत एक मूल्य व्यवस्था के अन्तर्गत वास्तविक गणना पर आधारित होगी।

7. आवासीय भवनों की आन्तरिक विद्युतीकरण की दरों में पावर वायरिंग तथा लग की लागत भी समिलित है।


8. आकर्षिक व्यय का प्राविधान वित्त विभाग की अनुमत्यानुसार देय होगा।

9. "विन्ट-8.2 एवं 8.3 में से कोई एक प्राविधिक होगा। विन्ट-8.2 एवं 8.3 दोनों का प्रयोग यदि अपारिहर्य हो तो नेशनल बिल्डिंग कोड के norms एवं प्राविधानों के अनुसार स्पष्ट औचित्य एवं विवरण देने पर ही मान्य होगा।

10. विन्ट-8.2 का प्राविधान चार मजिल से अधिक आवासीय भवनों पर लागू होगा।


(मर्सर्ट पूर एवं)
मुख्य अधिकारी (मध्यम)
लोगोनिपात्र, लखनऊ


(अधिकारी अधिकारी अधिकारी)
दस्तावेज़ १०.०१.१८ दस्तावेज़ १०.०१.१८ दस्तावेज़ १०.०१.१८
लोगोनिपात्र, लखनऊ
ज. ए. (A.E.)


(अधिकारी अधिकारी अधिकारी)
वृत्त ३७वाँ वृत्त ३७वाँ वृत्त ३७वाँ वृत्त
लोगोनिपात्र, लखनऊ

दिनांक 01.01.2018 से प्रभावी कुर्सी क्षेत्रफल दरें
 (आरोसी0सी0 क्रेम्ड स्टक्चर हेटु)
 (रूपये प्रति वर्गमीटर में)


क्रमसंख्या	विवरण	अनावासीय		आवासीय (उच्च श्रेणी)
		उच्च अनावासीय	मध्य अनावासीय	
1	प्रबलित कार्पीट (आरोसी0सी0) संरचना छः मंजिल तक	2	3	4
2	अतिरिक्त दर	14140	12870	5
2.1	छः मंजिल के ऊपर नीवी मंजिल तक प्रत्येक मंजिल के लिए अतिरिक्त नीवी मंजिल के ऊपर बारहर्ही मंजिल तक प्रत्येक मंजिल के लिए अतिरिक्त	230	230	230
2.2	2.2 सामान्य कुर्सी 2.90 मीटर से ऊपर प्रत्येक 0.3 मीटर अतिरिक्त केंचाई के लिए	340	340	340
2.3	2.3 सामान्य कुर्सी 0.6 मीटर से अधिक प्रत्येक 0.3 मीटर अतिरिक्त गहराई के लिए (केवल भूतल के लिए)	530	530	530
2.4	2.4 नीव की सामान्य गहराई 1.20 मीटर से अधिक प्रत्येक 0.3 मीटर अतिरिक्त गहराई के लिए (केवल भूतल के लिए)	530	530	530
2.5	2.5 बाद में कभी एक अतिरिक्त मंजिल हेतु दूड़त नीव बनाने के लिए (केवल अतिरिक्त क्षेत्रफल पर जितना निर्माण होना है)	1460	1460	1460
3	3 युक्तम् रोधी संरचनाओं के लिए (केवल जोन चार एवं पाँच हेतु)	1040	1040	1040
4	4 दीमक प्रतिरोध के लिए	230	230	230
5	5 अधोतल (Basement) के लिए	17500	-	-
5.1	5.1 सामान्य केंचाई 3.35 मीटर के अधोतलीय संरचना सामान्य सीलन रोधी बिटुमिन अस्फाल्ट उपचार के साथ	1460	1460	-
5.2	5.2 सामान्य केंचाई 3.35 मीटर से अधिक प्रत्येक 0.3 मीटर अतिरिक्त केंचाई के लिए अतिरिक्त दर	(-)2640	(-)2640	-
5.3	5.3 सामान्य केंचाई 3.35 मीटर से कम प्रत्येक 0.5 मीटर अतिरिक्त केंचाई के लिए कम होने वाली दर	-	-	-


टिप्पणी:- 1. ऊक्त दरों में जी0एस0टी0 की दरे समिलित नहीं है।


2. 10 टन./वर्गमीटर भार क्षमतावाली मिट्टी से कम क्षमतावाली मिट्टी से कम प्रतिक्काट गापट फाउण्डेशन के लिए/15मी0 तक लम्बी पाइल फाउण्डेशन के लिए/ओपी0टी0 आपरेशन थियेटर के लिए/500 किलोग्राम प्रतिक्काट मी0 से अधिक-1000 किलोग्राम प्रति वर्गमीटर तक भार याहने केरने हेतु दृढ़ता संरचनाके लिए लोड बियरिंग याल हेतु दर्शाएं गये प्राविधिकों को अपनाया जाए।

3. उच्च श्रेणी अनावासीय भवन में यदि फल्स सीलिंग का प्राविधिक निर्माण की वर्तमान प्रचलित दरों के अनुसार देय होगा। लो0निर्माण में दरे उपलब्ध न होने पर जी0एस0आर0 की स्थानीय प्रचलित दरे मात्र होंगी।

4. 35 वर्गमीटर से अधिक मौड़ुल के लिए दर रु0 500.00 प्रतिवर्ग मी0 देय होगा।


 अधीक्षण अभियन्ता
 दशम वृत्त (भवन)
 लो0निर्माण, लखनऊ
 2018/01/01
 10:00 AM
 J. E. P.


 अधीक्षण अभियन्ता
 दशम वृत्त (भवन)
 लो0निर्माण, लखनऊ
 2018/01/01
 10:00 AM
 J. E. P.


 (मसहित नहीं २वां)
 मुख्य अभियन्ता (भवन)
 लो0निर्माण, लखनऊ